



बिहार सरकार  
कृषि विभाग  
ई-मेल :

rkvv.bihar@gmail.com

कृषि निदेशालय, बिहार  
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग)

वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in  
दूरभाष/फैक्स सं० : 0612-2204388

पत्र सं०-रा०कृ०वि०यो०को०-22/2018

/ कृ०, पटना, दिनांक जुलाई, 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, (सभी)।  
जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अन्तर्गत फसल कटनी पश्चात् विपणन सहायता के तहत गोदाम निर्माण के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अन्तर्गत फसल कटनी पश्चात् विपणन सहायता के तहत गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास एवं विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है। गोदाम निर्माण कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न है।

अनुरोध है कि गोदाम निर्माण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप कार्य करेंगे। गोदाम निर्माण के अनुदान राशि का भुगतान मंत्रिमंडल से कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् की जायेगी।

कार्यान्वयन अनुदेश पर माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

कृ०, पटना, दिनांक जुलाई, 2018

प्रतिलिपि :-जिला के प्रभारी, कृषि अभियंता/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

3916

कृ०, पटना, दिनांक 23 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि :-प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) (सभी) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19.7.18  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

# हरित क्रांति उप योजना

## गोदाम निर्माण कार्यक्रम

### कार्यान्वयन अनुदेश

वित्तीय वर्ष 2018-19

#### महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- (i) स्वीकृति पत्र के साथ प्राक्कलन एवं नक्शा उपलब्ध कराना।
- (ii) कार्य हेतु जिला पदाधिकारी के सहयोग से किसी अभियंत्रण कार्य से जुड़े सरकारी विभाग/एजेंसी को चिन्हित करना।
- (iii) ले-आउट के समय कनीय अभियंता की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- (iv) प्रत्येक गोदाम के लिए एक कृषि पदाधिकारी/कर्मि को सम्बद्ध करना।
- (v) सम्बद्ध पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ गोदाम निर्माण कार्य की प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना।
- (vi) लक्ष्य प्राप्त होते ही 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्वीकृति पत्र निर्गत करना।
- (vii) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु व्यक्तिगत रुचि लेना।

**प्रस्तावना:-** फसलों के उत्पाद के उचित भण्डारण के लिए संसाधनों का अभाव किसानों की समस्या को बढ़ाता है। उपयुक्त भण्डारण के अभाव में अनाज की क्षति होती है। जैव कारकों से होने वाली क्षति को आधुनिक तकनीक अपनाकर कम किया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भण्डारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अन्तर्गत विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गई है जिसकी क्षमता 200 मे० टन होगी। भण्डारण की व्यवस्था होने से किसान कृषि उत्पादों का सुरक्षित भण्डारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार को किसी भी योजना में गोदाम की आवश्यकता होगी तो गोदाम लाभान्वित कृषकों द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराना होगा।

1. **लक्ष्य:-** गोदाम निर्माण योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 पर संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप गोदाम निर्माण करायेंगे।

#### 2. कृषकों के चयन की प्रक्रिया :-

- 2.1 कृषक प्रगतिशील एवं इच्छुक हों।
- 2.2 निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए 16% एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों के लिए 01% प्रतिशत का आरक्षण तथा सीमांत एवं लघु कृषक की भागीदारी 33% सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2.3 जिलों के लिए स्वीकृत राशि से यह भी प्रयास किया जाय कि लाभुक में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।
- 2.4 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया पंचायत समिति सदस्य/प्रखंड प्रमुख आदि) से अनुशंसा प्राप्त हो।
- 2.5 कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा हो।
- 2.6 "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर कृषक का चयन किया जायेगा।

- 2.7 कृषक के साथ-साथ कृषकों के स्वयं सहायता समूह को भी योजना का लाभ जायेगा।
- 2.8 गोदाम निर्माण में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादक, समूहों एवं एग्रीगेटर को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 2.9 गोदाम ऐसी भूमि पर निर्माण कराया जाय जहाँ सभी मौसमों में वाहन के आवागमन की सुविधा हो।
- 2.10 गोदाम निर्माण हेतु किसान के पास भूमि हो जिस पर कृषक का स्वामित्व हो एवं उसकी जमाबंदी कृषक के नाम से हो।
- 2.11 गोदाम निर्माण का लाभ एक किसान को एक बार ही देय होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ दिया जायेगा। पूर्व में यदि किसी किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना अथवा किसी अन्य योजना से गोदाम निर्माण का लाभ दिया गया है तो वैसे किसान को गोदाम निर्माण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

### 3. आवेदन की प्रक्रिया :-

- 3.1 आवेदन की प्राप्ति :- आवेदन प्रखण्ड कृषि कार्यालय अथवा जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक किसानों से विहित प्रपत्र में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों के द्वारा आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र किसान मेला एवं विशेष कैंप यथा किसान विकास शिविर, खरीफ एवं रबी महोत्सव शिविर आदि में भी प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा किसान को प्राप्ति रसीद दी जायेगी जिसमें प्राप्ति क्रमांक एवं तिथि का उल्लेख होगा। संबंधित कर्मियों के द्वारा एक सत्यापित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। जिला कृषि कार्यालय में एक समेकित रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक आवेदन का क्रमांक, तिथि एवं वर्ष का उल्लेख होगा। आवेदन का प्रपत्र अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।
- 3.2 आवेदन की जाँच :- आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। यह जाँच किसान के द्वारा आवेदन में उल्लेखित स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक प्रगतिशील किसान हैं या नहीं तथा उन्हें वास्तव में गोदाम की आवश्यकता है या नहीं। जमीन की कागजात जाँचकर सुनिश्चित किया जायेगा कि जमाबंदी आवेदक के नाम पर है।
- 3.3 आवेदन की स्वीकृति :- ऐसे आवेदनों, जो जाँचोपरान्त अनुदान के लिये उपयुक्त पाये जाते हैं, के विरुद्ध जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा (अनुसूची-3)। स्वीकृति पत्र के साथ मॉडल प्राक्कलन दिया जायेगा एवं स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया एवं गोदाम निर्माण पूर्ण करने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। स्वीकृति पत्र में गोदाम का उपयोग किसी भी स्थिति में अन्न भंडारण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने का उल्लेख भी किया जायेगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को भी दी जायेगी ताकि गोदाम निर्माण के क्रम में उक्त कर्मियों के द्वारा इसकी जाँच की जा सके।

41

3.4 स्वीकृति पत्र की दो मूल प्रतियां तैयार की जायेगी एवं उन पर किसान का भी हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा। एक प्रति कार्यालय में संधारित किया जायेगा एवं द्वितीय प्रति आवेदक किसान को, प्राक्कलन के साथ, उपलब्ध कराया जायेगा।

#### 4. गोदाम निर्माण की प्रक्रिया :-

- 4.1 गोदाम निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था किसान स्वयं करेंगे एवं किसान को जमीन के स्वामित्व के संबंध में साक्ष्य (जमाबंदी) उपलब्ध कराना होगा।
- 4.2 स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न प्राक्कलन के अनुसार किसान गोदाम निर्माण करावेंगे। लाभुक किसान कार्य प्रारम्भ करने की सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। जिला कृषि पदाधिकारी कार्य प्रारम्भ करने के दिन कनीय अभियंता की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। कनीय अभियंता अपनी उपस्थिति में ले-आउट करावेंगे।
- 4.3 जिला कृषि पदाधिकारी सरकारी विभागों/कार्यक्रमों यथा मनरेगा, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन आदि के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करावेंगे तथा मापी पुस्त का संधारण करावेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी सत्यापित मापीपुस्त निर्गत करेंगे एवं मापीपुस्त को क्रमांकित करते हुए निर्गत किये गये मापीपुस्त की सूचना एक पृथक पंजी में संधारित करेंगे।
- 4.4 जिला कृषि पदाधिकारी जिला स्तर पर मापी कार्य हेतु एक सरकारी अभियंत्रण विभाग को चिन्हित कर इसकी सूचना लाभुक को देंगे। अभियंत्रण विभाग के चयन में जिला पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- 4.5 निर्माण कार्य तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप होने का सत्यापन संबंधित जिला के प्रभारी कृषि अभियंता करेंगे।
- 4.6 किसान को स्वीकृति पत्र में निर्धारित तिथि तक गोदाम निर्माण का कार्य सम्पन्न कर लेना होगा अन्यथा राशि व्ययगत होने की स्थिति में अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 4.7 गोदाम पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र लाभुक किसान इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। सूचना प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर इसकी जाँच कांडिका-5.1 के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 4.8 किसान 200 मे० टन से अधिक क्षमता के गोदाम का निर्माण कर सकते हैं परन्तु अनुदान की राशि 200 मे० टन के लिए निर्धारित राशि तक ही सीमित होगी।
- 4.9 मॉडल प्राक्कलन के अनुसार गोदाम के छत का निर्माण एस्वेस्टस से कराया जायेगा। आर०सी०सी० छत मान्य नहीं होगा।

#### 5. निर्मित गोदाम का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :-

- 5.1 अनुदानित दर पर बनाये गये गोदाम का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन किसान के घर जाकर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के समकक्ष स्तर के पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। सत्यापन पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र (अनुसूची-4) में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा।
- 5.2 जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से भौतिक सत्यापन के उपरान्त कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण पाये जाने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ जिला के प्रभारी कृषि अभियंता को सूचित किया जायेगा एवं प्रभारी कृषि अभियंता के द्वारा गोदाम की क्षमता तथा प्राक्कलन के अनुरूप तकनीकी बिन्दुओं की जाँच कर अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा (जाँच का प्रपत्र अनुसूची-5 पर संलग्न)।

